

प्रेषक,

संजय कुमार दुबे,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक  
पिछड़ा वर्ग कल्याण  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक:07-11-2024

**विषय:** वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2024-25 में अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) पूर्वदशम् छात्रवृत्ति (कक्षा 9-10), दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत (कक्षा 11-12) एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं हेतु द्वितीय चरण की समय-सारिणी निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2155/पि0व0क0/2024-25, दिनांक 30 अक्टूबर, 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2024-25 में अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) पूर्वदशम् छात्रवृत्ति (कक्षा 9-10), दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत (कक्षा 11-12) एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रों के लिए आनलाइन आवेदन से लेकर वितरण हेतु द्वितीय चरण की समय-सारिणी निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2024-25 में पूर्वदशम् (कक्षा 9-10) एवं दशमोत्तर (कक्षा 11-12) एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत प्रदेश के अन्दर संचालित शिक्षण संस्थाओं द्वारा मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने तथा छात्रों द्वारा आनलाइन आवेदन से लेकर वितरण तक की कार्यवाही हेतु प्रथम चरण की समय-सारिणी शासनादेश संख्या-आई/731518/2024/64-2010(099)/1/2024 दिनांक-02-09-2024 तथा आई/721524/2024/64-2010(099)/1/2024 दिनांक 02-09-2024 द्वारा निर्गत की जा चुकी है।

3- अतः आपके द्वारा किये गए अनुरोध के क्रम में सम्यक विचारोपरांत वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) पूर्वदशम् छात्रवृत्ति (कक्षा 9-10), दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत (कक्षा 11-12) एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं हेतु द्वितीय चरण की समय-सारिणी निर्गत की जा रही है :-

**वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) पूर्वदशम् छात्रवृत्ति (कक्षा 9-10), दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत (कक्षा 11-12) एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं हेतु द्वितीय चरण की समय-सारिणी**

क्र०सं०	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	समयावधि
	<b>मास्टर डाटा सत्यापित तथा लॉक करने की कार्यवाही</b>	
1	शैक्षणिक संस्थानों द्वारा छात्रवृत्ति मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण करना:- (शैक्षणिक संस्थान/जिला विद्यालय निरीक्षक/एफिलिएटिंग एजेन्सी/विश्वविद्यालय स्तर)	31 दिसम्बर, 2024 तक।
2	विश्वविद्यालय/एफिलिएटिंग एजेन्सी/जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा फीस आदि का सत्यापन:-	05 जनवरी, 2025 तक।

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• प्रदेश के अन्तर्गत् सम्बन्धित विश्वविद्यालय/ एफिलिएटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्थान की माग्यता, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस आदि को आनलाइन पोर्टल पर अंकित एवं सत्यापित कर डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन लॉक किया जाना।</li> </ul> <p>(शैक्षणिक संस्थान/ जिला विद्यालय निरीक्षक/एफिलिएटिंग एजेन्सी/ विश्वविद्यालय स्तर)</p>	
3	<p>जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी द्वारा मास्टर डाटा तथा फीस आदि का सत्यापन:-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• प्रदेश के अन्तर्गत् जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी द्वारा छात्रवृत्ति पोर्टल पर शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस आदि को अंकित एवं सत्यापित कर डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन लॉक किया जाना। किसी पाठ्यक्रम की निर्धारित शुल्क की भिन्नता की स्थिति में जिला छात्रवृत्ति स्वीकृत समिति की बैठक में अनुमोदनोपरान्त मास्टर फीस पोर्टल पर लॉक की जायेगी।</li> </ul> <p>(पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी स्तर)</p> <p>नोट- शिक्षण संस्थानों का मास्टर डाटा समस्त स्तर से सत्यापित एवं लॉक होने के उपरान्त ही संस्था आवेदन करने वाले छात्रों का आवेदन अग्रसारित कर सकेगी।</p>	10 जनवरी, 2025 तक।
4	<p>छात्र द्वारा आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया:-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु छात्रों द्वारा पूर्वदशम छात्रवृत्ति एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत आनलाइन आवेदन की समस्त प्रक्रिया पूर्ण कर फाइनल सबमिट आवेदन पत्र का प्रिन्टआउट निकाल कर समस्त अभिलेखों सहित उसकी हार्डकॉपी शिक्षण संस्था स्तर पर जमा कराया जाना।</li> </ul> <p>(छात्र स्तर)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• कक्षा 9-10 एवं कक्षा 11-12 हेतु 21 अक्टूबर, 2024 से 15 जनवरी, 2025 तक।</li> <li>• अन्य दशमोत्तर कक्षाओं हेतु 21 नवम्बर, 2024 से 15 जनवरी, 2025 तक।</li> </ul>
5	<p>शिक्षण संस्थान स्तर से छात्रवृत्ति आवेदन पत्र को सत्यापित एवं अग्रसारित किया जाना:-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• संस्था में अध्ययनरत तथा छात्रवृत्ति पोर्टल पर आनलाइन आवेदन करने वाले छात्रों द्वारा आवेदन में अंकित समस्त तथ्यों का अभिलेखीय सत्यापन करते हुए, निर्धारित उपस्थिति मानक पूर्ण करने वाले पात्र छात्रों का आवेदन सत्यापित कर अग्रसारित किया जाना तथा अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त किया जाना।</li> </ul> <p>(शिक्षण संस्थान स्तर)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• छात्र के आवेदन के उपरान्त राज्य एन0आई0सी0 द्वारा छात्र के आधार सीडेड बैंक खातों के वियरन को पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर अपलोड करते हुए बेनीफिशियरी का रिवर्यंस प्राप्त किया जाना। (राज्य एन0आई0सी0 स्तर)</li> </ul>	18 जनवरी, 2025 तक।

6	विश्वविद्यालय/एफिलिएटिंग एजेन्सी द्वारा रिजल्ट अपलोड किया जाना।	18 जनवरी, 2025 तक।
7	राज्य एन0आई0सी0 द्वारा स्कूटनी किया जाना:- <ul style="list-style-type: none"> <li>पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल से सत्यापनोपरान्त प्राप्त छात्रवृत्ति आवेदन के डाटा को विभाग द्वारा प्रदान कराये गये बिन्दुओं के आधार पर परीक्षण करते हुए शुद्ध तथा संदेहास्पद डाटा को अलग किया जाना तथा शुद्ध डाटा को सत्यापन हेतु जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के लॉगिन पर उपलब्ध कराया जाना। (राज्य एन0आई0सी0 स्तर)</li> </ul>	23 जनवरी, 2025 तक।
8	संदेहास्पद/त्रुटिपूर्ण आवेदनों को छात्रों के स्तर पर सही कराते हुए पुनः संस्था स्तर से अग्रसारित किया जाना :- <ul style="list-style-type: none"> <li>संदेहास्पद आवेदनों में दृष्टिगत त्रुटियों को सुधारने हेतु छात्रों के लॉगिन में आवेदन को पुनः प्रदर्शित किया जाना तथा छात्रों द्वारा संदेहास्पद आवेदन की त्रुटियों को शुद्ध करते हुए पुनः शिक्षण संस्थान स्तर पर आवेदन की हार्डकॉपी तथा सम्बन्धित अभिलेख जमा करते हुए शिक्षण संस्थान स्तर से पुनः अग्रसारित कराया जाना। (राज्य एन0आई0सी0/छात्र स्तर/शिक्षण संस्थान स्तर)</li> </ul>	27 जनवरी, 2025 तक।
	<ul style="list-style-type: none"> <li>शिक्षण संस्था स्तर से छात्रों द्वारा संशोधित किये गये आवेदनों में से पात्र छात्रों का आवेदन पुनः सत्यापित कर अग्रसारित किया जाना तथा अपात्र/त्रुटिपूर्ण आवेदनों को संस्था स्तर से ही निरस्त किया जाना। (शिक्षण संस्थान स्तर)</li> </ul>	01 फरवरी, 2025 तक।
9	राज्य एन0आई0सी0 द्वारा पुनः स्कूटनी:- <ul style="list-style-type: none"> <li>छात्रों द्वारा संदेहास्पद डाटा में से संशोधित किये गये आवेदनों को राज्य एन0आई0सी0 द्वार विभिन्न बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण कर संदेहास्पद तथा शुद्ध डाटा के रूप में जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के लॉगिन पर उपलब्ध कराया जाना। (राज्य एन0आई0सी0 स्तर)</li> </ul>	04 फरवरी, 2025 तक।
10	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृत समिति द्वारा सत्यापनोपरान्त डाटा लॉक कराया जाना:- <ul style="list-style-type: none"> <li>जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी द्वारा राज्य एन0आई0सी0 द्वारा पोर्टल पर उपलब्ध कराये गये शुद्ध तथा संदेहास्पद डाटा का परीक्षण करते हुए जिला छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के अनुमोदनोपरान्त पात्र छात्रों का आवेदन सत्यापित कर अग्रसारित किया जाना तथा अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त किया जाना।</li> </ul> <p>(जिला छात्रवृत्ति स्वीकृत समिति स्तर)</p>	18 फरवरी, 2025 तक।
11	राज्य एन0आई0सी0 स्तर से मांग सृजन किया जाना:- <ul style="list-style-type: none"> <li>जनपद स्तरीय समिति तथा जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी स्तर से सत्यापित तथा लॉक डाटा के आधार पर राज्य एन0आई0सी0 द्वारा निदेशालय की लॉगिन/पोर्टल पर मांग उपलब्ध कराया जाना। (राज्य एन0आई0सी0 स्तर)</li> </ul>	21 फरवरी, 2025 तक।

12

निदेशालय स्तर से धनराशि का अन्तरण:-

25 फरवरी, 2025  
तक।

- जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारियों के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर पीओएफओएमओएसओ प्रणाली के माध्यम से छात्र/छात्राओं के आधार सीडेड/ एनओपीओसीओआईओ से मैन्ड बैंक खातों में धनराशि अन्तरित किया जाना।

(निदेशालय स्तर)

वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) पूर्वदशम छात्रवृत्ति (कक्षा 9-10) एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति (कक्षा 11-12) तथा अन्य दशमोत्तर कक्षाओं हेतु शासनादेश संख्या-आई/731518/2024/64-2010(099)/1/2024 दिनांक-02-09-2024 तथा आई/721524/2024/64-2010(099)/1/2024 दिनांक- 02-09-2024 द्वारा निर्गत निर्देश/शर्तें यथावत रहेगी।

5- अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त संशोधित समय-सारिणी का अपने सूत्र से प्रचार-प्रसार कराते हुये सुसंगत शासनादेशों/छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2024-25 में अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के छात्र/छात्राओं हेतु पूर्वदशम (कक्षा 9-10) एवं दशमोत्तर (कक्षा 11-12) एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रों हेतु छात्रवृत्ति योजना में आनलाइन आवेदन से लेकर वितरण का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,  
Signed by  
(संजय कुमार दुबे)  
Sanjay Kumar Dubey

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

Date: 07-11-2024 11:28:05

- महालेखाकार, उओप्रओ, प्रयागराज।
- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, समाज कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/ वित्त/नियोजन/ माओशिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उओप्रओ शासन
- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उओप्रओ द्वारा निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण।
- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उओप्रओ, लखनऊ।
- निदेशक, कोषागार, उओप्रओ लखनऊ।
- निदेशक, समाज कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण, उओप्रओ लखनऊ।
- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- निदेशक, एनओआईओसीओ राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
- समस्त पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, उओप्रओ द्वारा निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण।
- प्रबंध निदेशक, श्रीट्रान इंडिया लिमिटेड, लखनऊ।
- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संजय कुमार दुबे)  
संयुक्त सचिव।